भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1689

13.02.2023 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के समीप ऊंची इमारत का निर्माण

1689. श्री डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बाटाबाड़ी क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के निकट बड़ी संख्या में ऊंची इमारतों (4/5 मंजिला) का निर्माण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई व्यक्ति या संगठन राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के निकट ऐसी इमारतों का निर्माण कर सकता है और यदि हां, तो उस न्यूनतम दूरी का ब्यौरा क्या है जिसके अंदर ऐसे भवनों का निर्माण किया जा सकता है;

(ग) ऐसे भवन के निर्माण की अनुमति देने वाले प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघों को पुन: लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, बाघ रिज़र्वो, बाघ गलियारों में विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्रस्तावों और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के आस-पास पारि-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) में पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाले कार्यकलापों को राज्य सरकारों के द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) द्वारा विचार के लिए भेजा जाता है। राज्य सरकार एवं संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता वाले राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा गहन जांच के बाद प्रस्तावों को भेजा जाता है। एससीएनबीडब्ल्यूएल, जिसमें प्रख्यात पारिस्थितिकीविद्, संरक्षणवादी और पर्यावरणविद् भी शामिल हैं, अपने विचार के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर सुविज्ञ निर्णय लेता है।

देश में वन और वन्यजीवों के प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अधिदेशित किया गया है।

छपरामारी अभयारण्य के पारि-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) को दिनांक 07.06.2019 को अधिसूचित किया गया है और यह छपरामारी अभयारण्य के आसपास दो किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। ईएसजेड अधिसूचना के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारि-संवेदनशील क्षेत्र की सीमा तक, जो भी निकटतम है, में पारि-

पर्यटन गतिविधियों के लिए छोटी अस्थायी संरचनाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्टों की अनुमति नहीं दी जाएगी। संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर के बाद या पारि-संवदेनशील क्षेत्र की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, में सभी नई पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा गतिविधियों का विस्तार, पर्यटन संबंधी मास्टर प्लान और लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

इसके अलावा, छपरामारी अभयारण्य की ईएसजेड अधिसूचना के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारि-संवेदनशील क्षेत्र तक, जो भी निकटतम हो, में किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को भवन उप-नियमों के अनुसार, अपने उपयोग के लिए अपनी भूमि पर निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण गतिविधि के लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित और न्यूनतम रखा जाएगा। एक किलोमीटर दूरी से आगे इसे जोनल मास्टर-प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(घ) भारतीय वन्यजीव संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से बक्सा बाघ रिज़र्व में बाघों की आबादी को पुन: बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पहलें की गई हैं।

*****